

10.04.18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एवं संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या 225 जमाबंदी रैयत कृष्णाद मिश्रा के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में रकवा 2.00 एकड़ खता 07 प्लॉट 470 रकवा 2.4 अंकित है। लगान रसीद वर्ष 1955-56 से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में (1) जाकाप मिश्रा, जापिम मिश्रा पिता कासाप मिश्रा (2) सुपम अशायी मजसुम अशायी पिरोज अशायी पिता कापिम मिश्रा

का प्रश्नगत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार राँची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तों को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों जाकाप मिश्रा जापिम मिश्रा पिता कापिम मिश्रा एवं अन्य के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

10/04/18
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर